उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

(भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा संयुक्त उपक्रम)

पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यू.पी. बैंक एवं प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक का समामेलित बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय- फरुर्खाबाद "आर्यावर्त भवन", 2बी/105 आवास विकास लोहियापुरम, फरुर्खाबाद-209625 (उ.प्र.)

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

जबकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक नोटिस में उल्लिखित राशि, उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज तथा सभी लागत, प्रभार और आकस्मिक व्यय आदि सहित चुकाने का आह्वान किया है।

निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं। आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है, जिसे **"जैसी है जहां है", "जो है जैसा है", "जो कुछ भी है" तथा "बिना रिकॉर्स" के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत आर्यावर्त बैंक को देय 16.02.2023 तक आर्यावर्त बैंक (प्रतिभूति ऋणदाता) को देय रु. 39,76,027.90 (रुपये उनतालीस लाख छिहत्तर हजार सत्ताईस और नब्बे पैसे मात्र)** के साथ आगामी ब्याज और अतिरिक्त/पेनल की वसूली के लिए नीलामी के माध्यम से बेचा जाना है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

उधारकर्ता का नाम, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता	धारा 13(2) के तहत तिथि और राशि और कब्जे की तिथि, प्रकाशन कब्जे की सूचना की तिथि	संपत्ति/संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ बयाना राशि जमा और बोली वृद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी तिथि और समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण तिथि
1. उधारकर्ता:- अनिल कुमार गौड़ निवासी- 10/685, सेक्टर-10, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016. **यहाँ भी:-** 2.:- मकान नं. 349/3, चांदपुर सलोरी, तेलियारगंज, इलाहाबाद-211004	**1 अप्रैल, 2023** **रु. 39,76,027.90/- (रुपये उनतालीस लाख छिहत्तर हजार सत्ताईस और नब्बे पैसे मात्र) 01.04.2023 तक बकाया ब्याज और अन्य व्यय** **02 जून, 2023** **08 जून, 2023**	संपत्ति प्लॉट संख्या 07, भूमि खसरा संख्या 09, तकरोही, शहीद भगत सिंह, लखनऊ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है, जो मकान संख्या 636/पीएन-07, वार्ड संख्या 146, शहीद भगत सिंह वार्ड, बुद्ध विहार तकरोही, लखनऊ में स्थित है। साथ ही इसमें वर्तमान और भविष्य की संरचना भी मौजूद है।	आरक्षित मूल्य:- रु. 40,98,600/- (रुपये चालीस लाख अठानवें हजार छह सौ मात्र।) ईएमडी:- रु. 4,09,860/- (रुपये चार लाख नौ हजार आठ सौ साठ मात्र।) बोली वृद्धि राशि:- रु. 25,000/-	07/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक (प्रत्येक के लिए 5 मिनट का असीमित विस्तार) 05/07/2025 को सायं 5:00 बजे तक। 01/07/2025 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक।

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net और https://upgbank.com/ पर जाएं। ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क श्री राम शर्मा संपर्क नंबर: 8000023297. ईमेल आईडी: ramprasad@auctiontiger.net , support@auctiontiger.net
2. नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://upgbank.com/ और https://sarfaesi.auction-tiger.net पर जाएं।

यह सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत एक वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना भी है।

दिनांक: 13.06.2025, स्थान: फरुर्खाबाद

प्राधिकृत अधिकारी